कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–8119/ 2380 दिनांकः 03-11-2017

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
अम्बाला ।

विषयः Diversion of 0.0183 ha. of forest land for access to retail outlet of . HPC Ltd. along Bilaspur Chowk and Kapalmochan, from Bilaspur Chowk to Kapalmochan road & Bilaspur to Dhanoura road, R/side, at village Bilaspur, under forest division and District Yamuna Nagar, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/Road/28990/2017
संदर्भः इस कार्यालय का पत्र कमांक प्रशा–डी–तीन–8119/2098 दिनांक 13–10–2017 ।

—

उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिसमें इस कार्यालय के संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हो चुकी है ।

2. प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयोक्त उद्देश्य हेतु 0.0183 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।

(ii) इस प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा ।

(iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 35916/– रूपये (पैंतीस हजार नौ सौ सोलह रूपये) की राशि से मुगलवाली आरक्षित वन में 37 पौधे लगा कर किया जाएगा ।

(iv) प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।

(v) प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ–साथ उपयुक्त पौधारोपण पहुँच मार्ग, विभाजक द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान विनियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(vi) प्रवेश एवं निकास को छोड़ कर बाकी हिस्से पर कुछ बूटेदार तथा सजावटी पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं होना चाहिए और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिए ।

(vii) यह अनुमति 15 वर्षों के लिए अर्थात 3–11–2032 तक वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति सरकार से प्राप्त करनी होगी ।

(viii) पर्यावरण एव वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11–7–2014 को जारी दिशा–निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए ।

(ix) पैट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाए ।

(x) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

(xi) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।

(xii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।

(xiii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(xiv) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।

(xv) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।

(xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी ।

(xvii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।

(xviii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।

(xix) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्मों द्वारा चिन्हित की जाएंगी ।

(xx) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।

(xxi) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है ।

(xxii) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व–अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी ।

(xxiii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी ।

3. राज्य सरकार इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है । वन मण्डल अधिकारी इन शर्तों की पालना सुनिश्चित करेगा ।

3/11 ccf

वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ0सी0),
कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

3/4/2011

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24–25, सैक्टर–31–ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर
3. Senior Sales Officer, HPC Ltd., Panipat.